

09.02.18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार आवाज
लगवाई गई किन्तु प्राचीं आसालतन या बकालतन
उपस्थित नहीं आये। अतः प्रकरण अदम टपरी व
अदम पैरकी में खरिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार टोक नंबर से कम
हो एवं बाद तकमील सैलशन मूल कद रहे।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

गंगापुर सिटी